



भारत सरकार

कार्यालय

Office of the

आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions),

तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, La Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015

नाम Name	MANAV VIKAS AVAM ADHIKAR KENDRA SANSTHAN
पता Address	125/31, Non Karan Ka Ahata Nagar, Ajmer- 305001
स्थायी खाता संख्या PAN	AADAM0284A
धारा 12एए के अधीन पंजीकरण की संख्या तथा दिनांक No. & Date of Registration U/s 12AA	As per the CIT, Ajmer vide order No. आयुक्त/न्याय/धारा 12 क (क)/2014-15/511 दिनांक-11/06/14 रजिस्टर में संख्या न्यास/संस्था 37/60/2013-14
धारा 80 जी के अधीन आवेदन पत्र की दिनांक Date of Application U/s 80G	16/06/2016
आदेश की दिनांक Date of order	19/12/2016
80 जी के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) Unique Registration No (URN) for 80G	AADAM0284A/08/2016-17/S-142/80G

**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के तहत स्वीकृति आदेश  
APPROVAL UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961**

उपर्युक्त न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन पंजीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि दानकर्ता, MANAV VIKAS AVAM ADHIKAR KENDRA SANSTHAN, 125/31, Non Karan Ka Ahata Nagar, Ajmer- 305001 को दिये गये दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत, धारा 80जी की उप-धारा(5) के उपबंध (i) से (v) एव उपधारा (5बी) में वर्णित शर्तों के अधीन कटौती का पात्र होगा।

The aforesaid Trust/Society/Non-profit Company/Institution is registered u/s 12AA of Income-tax Act. It is certified that donation made to \_\_\_\_\_, shall qualify for deduction u/s 80G (5)(vi) of the Income-tax Act, 1961 subject to the fulfilment of conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) and sub section (5B) of section 80G of the I.T. Act 1961.

2. यह स्वीकृति दिनांक 16.06.2016 से, विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये जाने तक, अनवरत रूप से मान्य होगी।

This approval shall be valid in perpetuity w.e.f. \_\_\_\_\_ unless specifically withdrawn

3. आय की वार्षिक विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर. 7 में आय व्यय खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा चिट्ठे के साथ, आयकर अधिकारी (छूट), वार्ड- अजमेर जिनके पास आपका क्षेत्राधिकार है को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होगी।

The Return of Income in I.T.R.-7 along with the Income & Expenditure Account, Receipts and Payment Account and Balance Sheet should be submitted annually to the Income-tax Officer (Exemptions), ward \_\_\_\_\_ having jurisdiction over the case.

Ajmer